भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2507

उत्तर देने की तारीख : 03.08.2023

केन्द्रीय वक्फ परिषद

2507. श्री कुंवर दानिश अली:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 17वीं लोक सभा के किसी सदस्य को परिषद में नामित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या इसकी अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष और उसके बाद पुनः केवल एक वर्ष करना उचित और न्यायोचित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार केन्द्रीय वक्फ परिषद के नियमों के अंतर्गत निर्धारित संशोधन प्रक्रिया का पालन किए बिना और अपनी इच्छानुसार केन्द्रीय वक्फ परिषद के नियमों में परिवर्तन कर सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कार्यकाल को तीन वर्ष से घटाकर केवल एक वर्ष करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है जिसके परिणामस्वरूप यह सांविधिक निकाय अक्षम हो जाएगा?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): परिषद वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य के प्रभारी केंद्रीय मंत्री के अधीन है, जो पदेन अध्यक्ष हैं।

(ख): जी नहीं।

(ग) से (ङ): वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 12 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में, केंद्र सरकार ने 2014 में परिषद के कार्यकाल को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने की अधिसूचना जारी की है। दिनांक 4.2.2019 को तीन वर्ष के लिए परिषद में नामित नौ सदस्यों में से सात सदस्यों को केंद्रीय वक्फ परिषद नियम, 1998 के नियम 4(1) के तहत 4.2.2022 से 3.2.2023 की अवधि अर्थात् एक वर्ष के लिए पुन: नियुक्त किया गया था।

*****